

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 चंगोई

अनुवान नरेन्द्र कुमार बलौदा बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 612/2025

निर्णय दिनांक 22/12/25

नरेन्द्र कुमार बलौदा पुत्र जय सिंह बलौदा जाति जाट निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

—::निर्णय::—

प्रार्थीगण द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 चंगोई में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 424 के खसरा नं. 462 तादादी 4.6028 है0, खसरा नं. 501 तादादी 3.0348 है0 रोही ग्राम चंगोई तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम नरेन्द्रकुमार पुत्र जसुराम दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम नरेन्द्र कुमार बलौदा पुत्र जय सिंह बलौदा है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम नरेन्द्रकुमार पुत्र जसुराम के स्थान पर नरेन्द्र कुमार बलौदा पुत्र जय सिंह बलौदा किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः खाता संख्या 424 के खसरा नं. 462 तादादी 4.6028 है0, खसरा नं. 501 तादादी 3.0348 है0 रोही ग्राम चंगोई तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण का नाम नरेन्द्रकुमार पुत्र जसुराम Delete कर इसके स्थान पर नरेन्द्र कुमार बलौदा पुत्र जय सिंह बलौदा अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/12/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 चंगोई में लिखाया जाकर सुनाया गया।



Rajendra
राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)